कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा / माध्य / छात्रवृति / सेल–डी / ब0घो0–61 / मिरासी–भिश्ती / 22–23   दिनांक 12.05.2023

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक / प्रारम्भिक (मुख्यालय)

विषय : माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 61 मिरासी–भिश्ती समुदाय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग : राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप–6 से प्राप्त अनुमोदन पत्रांक प019 (2)शिक्षा–6 / 2022 जयपुर दि–10.05.23

मिरासी–भिश्ती समुदाय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
–दिशा–निर्देश–

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 61 के अनुसरण में मिरासी–भिश्ती समुदाय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की क्रियान्विति सत्र 2023–24 से की जानी है। उक्त समुदाय के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 06 से 10 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार है –

1. **योजना का नामः–** मिरासी–भिश्ती समुदाय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
2. **योजना का उद्देश्य–** इस योजनान्तर्गत मिरासी समुदाय (मिरासी, ढाढ़ी, मीर, मगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के कक्षा 06 से 10 के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्ति के तर्ज पर ही छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जायेगी।
3. **योजना से लाभान्वित विद्यार्थी–** विद्यार्थी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप से अध्ययन कर रहा हो। निम्न तालिका अनुसार विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

क्र.सं.	कक्षा	लाभान्वित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्राओं की संख्या
1	6	500	500
2	7	500	500
3	8	500	500
4	9	500	500
5	10	500	500

4. **योजना का संबंधित विभाग–** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर।
5. **पात्रता :**
   1. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
   2. मिरासी (मिरासी, ढाढ़ी, मीर, मंगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
   3. विद्यार्थी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा हो।
   4. विद्यार्थी जिनके माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक नहीं हो। **यदि विद्यार्थी के माता–पिता जीवित नहीं है तो आय सीमा लागू नहीं होगी।**
   5. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता मिल रहा हो **ऐसे विद्यार्थी योजनान्तर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे।**
   6. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जायेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा में आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जायेगा।

6. **देय लाभ** :– मिरासी समुदाय (मिरासी, ढाढ़ी, मीर, मंगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के ऐसे छात्र–छात्राओं जो कि कक्षा 6–10 में अध्ययनरत हो तथा उनकी आय निर्धारित सीमा तक हो, तो ऐसे उक्त समुदाय के **छात्र–छात्राओं को 1200/– रूपये वार्षिक छात्रवृत्ति** प्रदान की जायेगी।

7. **लाभार्थी का चयन** :– प्रत्येक कक्षा के लाभान्वितों की नियत संख्या से अधिक ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त होने पर गत वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट द्वारा चयन किया जायेगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में विद्यार्थी के क्रमशः **गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी** के अंकों से मेरिट का निर्धारण किया जायेगा।

8. **आवेदन की प्रक्रिया** :– योजना के तहत शालादार्पण के बेनिफीशयरी मॉड्युल पर ऑनलाईन प्रस्ताव संबंधित विद्यालय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है, के माध्यम से प्रस्तुत होंगे।

9. **आवश्यक दस्तावेज (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)** :–

अ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र।

ब जनाधार कार्ड एवं आधार कार्ड ।

स इस आशय का स्वघोषणा पत्र कि लाभार्थी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहा है। (संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित)

द आय प्रमाणपत्र की प्रति। (12 माह से अधिक पुरान नहीं हो अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार हो। यदि माता–पिता/अभिभावक राजकीय/बोर्ड/निगम/निजी सेवा में सेवारत/कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/नियोक्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।)

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department

प्रतिलिपि अग्रांकित को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को योजना की कियान्विती एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वरिष्ठ तकीनीकी निदेशक एन0आई0सी0 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त योजना के प्रस्ताव शालादार्पण के बेनिफीशयरी मॉड्युल के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. उप निदेशक, शाला दर्पण राजस्थान, स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त योजना के प्रस्ताव शालादार्पण के बेनिफीशयरी मॉड्युल के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
7. सहायक निदेशक, योजना अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर